17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थीगण उसके द्वारा उसके कब्जे की भूमि पर लगाये गये पेडो को विकय कर सकते है अतः सिर्फ मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावे। वकील अप्रार्थीगण भी मौके की यथास्थिति हेतु सहमत है।

वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ग्राम मेलवा प.ह. किशनगढ की आ.न. 106, 109, 140 कुल किता 3 रकबा 03–05 बीघा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मूल वाद के निरतारण तक उक्त विवादित कृषि आराजियात की मौके की यथारिथति हेतु सहमत है। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 17.07.2020 में आंशिक तौर पर कन्फर्म की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम मेलवा प.ह. किशनगढ की आ.न. 106, 109, 140 कुल किता 3 रकबा 03–05 बीघा में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त कृषि आराजियात की मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner